न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 25/2016

श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री धीरेन्द्र बोथरा पुत्र श्री भीकमचन्द बोथरा विक्रेता एवं मालिक मैसर्स बोथरा जनरल स्टोर गंगाशहर बीकानेर– निवासी पुरानी लाईन गंगाशहर बीकानेर
2. श्री रामलाल भागीदार मैसर्स– कन्हैयालाल रामलाल दुकान नं. 67 न्यू, अनाज मण्डी गंगानगर रोड़, बीकानेर
3. श्री दिनेश कुमार भागीदार मैसर्स– कन्हैयालाल रामलाल दुकान नं. 67 न्यू, अनाज मण्डी गंगानगर रोड़, बीकानेर
4. श्री उमेश कुमार भागीदार मैसर्स– कन्हैयालाल रामलाल दुकान नं. 67 न्यू, अनाज मण्डी गंगानगर रोड़, बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खा.सु अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 – अनुपस्थित
3. अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से – श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक :– 28.06.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.05.15 को अप्रार्थीपक्ष श्री धीरेन्द्र बोथरा पुत्र श्री भीकमचन्द्र बोथरा (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स बोथरा जनरल स्टोर गंगाशहर बीकानेर के यहां दुकान के काउन्टर में 20 पैकेट 500 ग्राम पैकिंग बेसन(रामस) वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर उक्त बेसन(रामस) के पैकेटों में से 04 पैकेट 500 ग्राम पैंकिंग के वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय कर विक्रेता द्वारा बताये अनुसार मूल्य 140/– रूपये श्री मुरारीलाल शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर खा.सु.अ., गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त नमूने भाग के चार लेबल तैयार किये गये जिस पर कोड एवं क्रमांक एबी–489 अंकित कर नियमानुसार प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक भाग पर पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक एबी–489 गोंद से नियमानुसार उक्त पैकेटों को सील चपड़ी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता, गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य विक्रेता एवं गवाहों ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

जिनके यहां से रिर्पोट क्रमांक LS./1147/Act/ 2015/652 दिनांक 31.07.2015 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई। जिसमें खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस स्वयं पर तथा अप्रार्थी संख्या 2 का नोटिस उनके पुत्र पर बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का जवाब है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.05.2015 को विक्रेता मैसर्स बोथरा जनरल स्टोर से ''मिलावट का शक'' होने पर बेसन (रामसा) का नमूना संग्रह किया था, जो जांच रिपोर्ट में सही पाया गया। अप्रार्थी मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल की ओर से वांछित सूचना प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना बेसन का निर्माता राम इण्डस्ट्रीज बीकानेर है। निर्माता फर्म से दिनांक 4.5.15 को बेसन (रामस) खरीदा तब पैकेटों पर बैच नम्बर, निर्माण माह एवं बेस्ट बिफोर अंकित था। फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.5.15 में अन्य त्रुटिया नहीं पाई गई। मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयुपर की जांच रिपोर्ट दिनांक 31.7.2015 प्राप्त होने के 68 दिन बाद बिना कारण बताये देरी से जांच करना संदेह उत्पन्न करता है, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का घोर उल्लंघन भी है। जांच रिपोर्ट में FSSAI 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) अनुसार मिसब्राण्ड बताया है जबकि उक्त धाराओं में उक्त नमूना किसी भी प्रकार से मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। क्योंकि उक्त बेसन न तो किसी अन्य नाम से विक्रय किया जा रहा था न किसी प्रकार का कृत्रिम, सुरूचिकारक, कृत्रिमरंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त था। अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार मियाद बाहर है। नमूना बेसन दिनांक 19.5.2015 को लिया था एवं एक वर्ष के अन्दर वाद दायर करने की अन्तिम तिथि 18.05.2016 थी जबकि उक्त परिवाद न्यायालय में दिनांक 20.5.2016 को वाद दायर रजिस्टर दर्ज किया गया है। एक वर्ष पश्चात संज्ञान नहीं कर सकता है। धारा 77 अभियोजनों के लिये समय सीमा अनुसार नियम है। इस आधार पर परिवाद मियाद बाहर है एवं खारिज करने योग्य है। अतः प्रतिवादियों दिनेश कुमार एवं उमेश कुमार भागीदार मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल को दोषमुक्त होने का आदेश फरमाया जावे एवं वाद को खारिज किया जावे।

4. तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड **बेसन (रामसा)** का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Besan (Rama's) bearing Code No. and Sr. No. AB-489 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1(5) and 2.2.2(8),(10)(i) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड **बेसन (रामसा)** मिसब्राण्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। विभागीय प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया है कि अभियोजन स्वीकृति क्रंमाक CMHO/FSSA/2259 दिनांक 17.05.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर द्वारा समय सीमा में प्रदत्त की गई है। प्रशासनिक कारणों से दिनांक 19.05.2015 को प्रकरण हुआ है। इसलिए परिवाद को अन्दर मियाद शुमार फरमावें। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

6. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में कथन किया है कि प्रार्थी ने दिनांक 19.05.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 के यहां ''मिलावट का शक'' होने पर बेसन (रामसा) का नमूना संग्रह किया था। दिनांक 21.5.15 को जांच हेतु लेबोरेट्री को भिजवाया। 68 दिन बाद जांच की गई। मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयुपर की जांच रिपोर्ट दिनांक 31.7.2015 प्राप्त होने के 68 दिन बाद बिना कारण बताये देरी से जांच करना संदेह उत्पन्न करता है, जो खाद्य सुरक्षा नियमों का घोर उल्लंघन भी है। जांच रिपोर्ट में FSSAI 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) अनुसार मिसब्राण्ड बताया है जबकि उक्त धाराओं में उक्त नमूना किसी भी प्रकार से मिसब्राण्ड की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थी मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल की ओर से वांछित सूचना प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना बेसन का निर्माता राम इण्डस्ट्रीज बीकानेर है। निर्माता फर्म से दिनांक 4.5.15 को बेसन (रामस) खरीदा तब पैकेटों पर बैच नम्बर, निर्माण माह एवं बेस्ट बिफोर अंकित था। फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.5.15 में अन्य त्रुटिया नहीं पाई गई। क्योंकि उक्त बेसन न तो किसी अन्य नाम से विक्रय किया जा रहा था न किसी प्रकार का कृत्रिम, सुरूचिकारक, कृत्रिमरंजक या रासायनिक परिरक्षी से युक्त था। अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के अनुसार मियाद बाहर है। नमूना बेसन दिनांक 19.5.2015 को लिया था एवं एक वर्ष के अन्दर वाद दायर करने की अन्तिम तिथि 18.05.2016 थी जबकि उक्त परिवाद न्यायालय में दिनांक 20.5.2016 को वाद दायर रजिस्टर दर्ज किया गया है। एक वर्ष पश्चात संज्ञान नहीं कर सकता है। धारा 77 अभियोजनों के लिये समय सीमा अनुसार नियम है। इस आधार पर परिवाद मियाद बाहर है एवं खारिज करने योग्य है। अतः प्रतिवादियों दिनेश कुमार एवं उमेश कुमार भागीदार मैसर्स कन्हैयालाल रामलाल को दोषमुक्त होने का आदेश फरमाया जावे एवं वाद को खारिज किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से सर्वप्रथम यह प्रकट हुआ है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी मैसर्स बोथरा जनरल स्टोर गंगाशहर बीकानेर के यहां दिनांक 19.05.2015 को खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड **बेसन (रामसा)** के नमूना जांच हेतु सेम्पल लिया गया तथा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को दिनांक 21.05.2015 को भेजा गया। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 31.07.2015 को प्राप्त हुई। पत्रावली के अवलोकन से इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति क्रंमाक CMHO/FSSA/2259 दिनांक 17.05.2016 को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर द्वारा समय सीमा में प्रदत्त की गई है। प्रशासनिक कारणों से परिवाद दिनांक 19. 05.2015 को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए दिनांक 19.5.2019 को प्रस्तुत परिवाद को मियाद अन्दर शुमार किया जाता है। बहस में नमूना एवं जांच के विषय में उठाये गये एतराजात का कोई कानूनी असर इसलिए भी नहीं है, क्योंकि प्रकरण में जांच के आधार पर मिलावट संबंधी कोई अभियोजन नहीं है बल्कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 का उल्लंघन है, जो कि मिसब्राण्ड की श्रेणी में आता है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक LS./1147/Act/ 2015/652 दिनांक 31.07.2015 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Besan (Rama's) bearing Code No. and Sr. No. AB-489 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.1(5) and 2.2.2(8),(10)(i) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

8. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ पोली पैक्ड बेसन (रामस)(मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु निर्मित एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **35,000/-** अखरे **रूपये पैतीस हजार मात्र** की शास्ति आरोपित की जाती है।

9. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

10. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ा) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु निर्मित करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का निर्मित एवं पैकिंग किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष निर्मित एवं बिक्रीकर अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 फर्म मालिक/भागीदारों का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से रूपये 30,000/– (अखरे तीस हजार रूपये मात्र) के लिए अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 फर्म मालिक/भागीदारों को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 फर्म मालिक/भागीदारों प्रत्येक 10–10 हजार रूपये की शास्ति राशि भरने हेतु दायी होगें।

11. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में विक्रेतां का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री बेसन (रामस) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय किया जिसके लिये वे भी समान रूप से धारा 26 (2) (ा) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 विनिर्माता की शास्ति को घटाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 की आरोपित शास्ति राशि रूपये 5,000/– (विक्रेता) भरने हेतु दायी होगा।

12. इस प्रकार आरोपित **35,000– रूपये** की शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 फर्म मालिक/भागीदारों (विनिर्माता) की शास्ति राशि **30,000/–** अर्थात प्रत्येक 10–10 हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) की शास्ति राशि रू. **5,000/–** की शास्ति अदा करेगें।

13. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

14. निर्णय आज दिनांक **28.06.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं अप्रार्थी संख्या 3 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(एफा) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner